

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 17.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri D.V. Sadananda Gowda** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 164 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SHOBITH J. GOWOA	SH. JOGI GOWOA MOB- 7019638810	7	MALLESWARAM
2	OEVAIAH AIYAPPA BALEYANOA	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP		
3	SAMARTHA BHAT. T	SH. ANIL KUMAR MOB- 9480573955	1	NO.1 AFS JALAHALLI
4	SNEHITH	SMT. KIRAN MOB- 9731358517	1	HEBBAL
5	PRARTHANA OILEEP	SH. OILIP GOPAL KRISHNA MOB- 9886223459	2	NO.1 AFS JALAHALLI
6	LAKSH ARAVIND	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP		
7	RAGHAVENORA N	SH. NAGARAJA MOB- 9448308902	1	NO.1 JALAHALLI
8	YEOOULA RIKRITHI REODY	SH. NAGACHANORA REOOY MOB- 9901541521	1	MALLESHWARAM
9	H. M. SANCHAY	SH. H. M. VEERESH MOB- 9481417902	3	MALLESHWARAM
10	CHIRAYU. K	SH. KUMAR. V MOB- 8884094365	2	MALLESHWARAM

श्री डी. वी. सादानन्दा गोवडा

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri D.V. Sadananda Gowda माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, BENGALURU संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

Q